

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2016

राजस्व निगरानी संख्या 23/ 16

आरसीएमएस संख्या:- (2016/00277)

बउनवानी:- आम जनता ग्राम पाडली तहसील सवाईमाधोपुर जरिये:-

1. रामावतार पुत्र जन्सी बैरवा निवासी पाडली, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. पून्या पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी पाडली तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. बुद्धि प्रकाश पुत्र रामचन्द्रा बैरवा निवासी पाडली, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. कान्ता प्रसाद पुत्र रूपनारायण ब्राहमण निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
5. पृथ्वी राज पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पाडली, तह.व जिला सवाईमाधोपुर
6. परेश्वर पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
7. शम्भूदयाल पुत्र राजाराम जाति मीना निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
8. सूरजमल पुत्र कजोड जाति जागा निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
9. धनराज पुत्र प्रभू जाति जागा निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
10. हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति जागा निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
11. हरकेश पुत्र हरिराम जाति मीना निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
12. जगदीश पुत्र प्रभू जाति जागा निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर
13. नरेश पुत्र राधेश्याम जाति नाथ निवासी पाडली तह.व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. हनुमान पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी पाडली तह.व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1965 तहसीलदार सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970)

उपस्थित:- 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल

वकील प्रार्थीगण
वकील अप्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक 1.10.2019

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1965 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पाडली के मजमे आम की बजाय ग्राम भदलाव में विवादग्रस्त भूमि का आवंटन कर अहम भूल की है। तथा आवंटित भूमि ख0न0 319 रकबा 5 बीघा की उदघोषणा नहीं करके भी कानूनी भूल है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी संख्या 1 ने भूप्रबंध विभाग से साज करके बिना किसी अधिकार के विवादित भूमि साबिक ख0न0 319 रकबा 5 बीघा के नवीन ख0न0 753 रकबा 0.42 है, ख0न0 754 रकबा 0.51 है0, ख0न0 755 रकबा 0.01 है0, ख0न0 774/1165 रकबा 0.18 है0, ख0न0 777/1166 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 कृषि भूमि का इन्द्राज फर्जी तरीके से गैर खातेदारी मे हाल खतौनी संख्या 219 सम्वत् 2057 से 2077 मे इन्द्राज करवा लिया है जबकि साबिक रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2042-2045 तक की साबिक ख0न0 319 रकबा 62 बीघा 19 बिस्वा की उपलब्ध जमाबंदियों मे विपक्षीगण संख्या 1 के नाम साबिक ख0न0 319 रकबा 5 बीघा भूमि का इन्द्राज भी नहीं है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम पाडली तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित साबिक ख0न0 319 का रकबा के अनुसार विवरण 2042 से 2045 की जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 1 जिम्मन संख्या 1 में ख0न0 319 मिन रकबा 17 बीघा है। खाता संख्या 147 मे दर्ज ख0न0

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

319/2 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी सुखदेवा पुत्र अमरया बैरवा के नाम दर्ज है। खाता संख्या 79 मे दर्ज ख0न0 319/1/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 319/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी बदरी, रामधन,घनश्याम, राधेश्याम, जगदीश, रमेशचन्द्र पुत्र भागला नाथ के नाम दर्ज है। खाता संख्या 86 मे दर्ज ख0न0 319/1/3 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूरालाल,श्योनारायण पुत्र तुलसीराम रेगर के नाम दर्ज है। खाता संख्या 118 मे दर्ज ख0न0 319/3 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा रामचन्द्र पुत्र गेन्दया बैरवा के नाम दर्ज है। खाता संख्या 6 मे दर्ज ख0न0 319/1/6 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप ब्राहमण के नाम दर्ज है। खाता संख्या 142 मे दर्ज ख0न0 319/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा शंकर पुत्र चुन्नीलाल ब्राहमण के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 का भौतिक कब्जा है। खाता संख्या 3 ,165 मे ख0न0 319 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं 319/1 रकबा 1 बीघा अर्जुन पुत्र धूल्या नाथ के नाम दर्ज है। खाता संख्या 195 मे ख0न0 319 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सोन्या पुत्र हवलया के नाम है। खाता संख्या 40 मे दर्ज ख0न0 319/4 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा जगन्नाथ पुत्र हुकमचन्द्र ब्राहमण के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार सबिक ख0न0 319 का कुल रकबा 62 बीघा 19 बिस्वा राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 के राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज है। यह तर्क भी दिया कि साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 के अभिलेख के अनुसार विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी में इन्द्राज भी नहीं था उसके पश्चात भी भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए हाल खतौनी सम्वत् 2019 मे विवादित भूमि हाल ख0न0 753,754,755,774/1165, 777/1166 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 में इन्द्राज करवा लिया है। विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी की भूमि ख0न0 756 रकबा 0.95 है0 हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्व अभियान,2008 मे दिनांक 4.4.2008 को किसी तरह की जॉच किये बिना ही खातेदारी अधिकार का अमल करने का आदेश पारित कर अहम भूल की है। अप्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि खेल मैदान एवं गांव वालो के खलिहान के काम आ रही है तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 753,754 सम्वत् 2071 से आज तक पडत है तथा ख0न0 774/1165 रकबा 0.18 है0 व ख0न0 777/1166 रकबा 0.14 है0 व ख0न0 755 रकबा 0.01 गै0मु0 चाह पर ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। यह कथन भी किया कि आवंटन आदेश भी रिकार्ड मे उपलब्ध नहीं हो रहा है केवल आवंटित व्यक्तियों की सूची है जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम अंकित है। श्रीमान के न्यायालय द्वारा अपील संख्या 19/12 उनवानी आम जनता पाडली बनाम हनुमान मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2016 मे निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण फोटो प्रति के आधार पर प्रा0 पत्र जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में आवंटन विधिवत किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। यह तर्क भी दिया कि आम जनता पाडली के नाम से कुछ गांव वाले जो प्रकरण मे प्रार्थीगण है तथा प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखने के कारण झूठे तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अप्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण को आवंटन आदेश की जानकारी वर्ष 2012 से ही थी किन्तु यह निगरानी प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 मे की गयी है इसलिए प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना मियाद बहार प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। कथन के समर्थन में आरआरडी नम्बर,2006 पृष्ठ संख्या 723 से 725 पेश किये गये। यह तर्क भी दिया कि आवंटन से इतने वर्षों बाद एवं जानकारी से 4 वर्ष बाद 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना भी प्रार्थीगण की बदनियति दर्शाता है तथा बदनियति पूर्वक प्रस्तुत किया गया तथा आवंटित भूमि पर निरन्तर काश्त नहीं कर पाने के आधार-कारण पर विगत अनेक वर्षों पूर्व किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है इसलिए भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है कथन के समर्थन में आरआर 14.3.2016 पृष्ठ संख्या 163 लगायत 169 प्रस्तुत किया गया। यह

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तर्क भी दिया कि दिनांक 26.6.1965 को प्रार्थी के पिता के अलावा लगभग 17 अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया है जिनका तहसील कार्यालय से प्राप्त आवंटन सूची में नाम अंकित है। यदि उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों का आवंटन अवैध नहीं है तो प्रार्थी के पिता को किया गया आवंटन भी अवैध नहीं है। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि का आवंटी व उसके बाद उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। कथन के समर्थन में आरआरडी मार्च, 2006 पृष्ठ संख्या 135 से 140 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो प्रार्थीगण का आवंटित भूमि से कोई लेना देना नहीं है और ना उनका उसपर कब्जा रहा है। ओर यदि प्रार्थीगण का मुझ अप्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि पर कब्जा मान भी लिया जावे तो वे मात्र अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थीगण के कब्जे का आधार पर भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। कथन के समर्थन में आरआरडी 14.11.2009 पृष्ठ संख्या 747 से 750 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधि विरुद्ध तरीके से किये जाने बाबत किये गये कथन के समर्थन में कोई ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। वकील प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि बिना आवंटन आदेश के ही अप्रार्थी के पिता को भूमि आवंटित की गयी है किन्तु उक्त कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के पिता के अलावा अन्य 17 काश्तकारों को भी उक्त खसरा नम्बर में से दिनांक 26.6.1965 को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है जो नियम विरुद्ध नहीं हो सकता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया है कि अप्रार्थी के पिता को किया गया आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन हो। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने एवं आवंटन के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। चूंकि आवंटित भूमि पर आवंटन से अब तक आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा रहा है। तथा आवंटन की जानकारी से लगभग 4 वर्ष बाद प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है के संबंध में किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से हम सहमत हैं एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के विशेष तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में लागू होते हैं। चूंकि वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज/कानूनी दृष्टान्त से बखूबी हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1965 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

